20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

(215)

-1-

श्री एम.के. पटेल
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार सीडर
15 JUL 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

R-2363-II/14

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक

नन्दकिशोर साहू पिता स्व० बाबूलाल साहू
उम्र लगभग 56 वर्ष निवासी इमलीखेड़ा
तोड़ सड़क के पास इमली खेड़ा तहसील मोहखेड़ा
जिला जबलपुर ------ याचिकाकर्ता

(373)

विरुद्ध

1)- श्रीमति सुशीला बाई पति सम्पत साहू
उम्र 54 साल निवासी राजेगाव तहसील मोहखेड़ा
जिला छिन्दवाड़ा म०प्र०

2)- श्रीमति सरोज बाई पति ज्ञानचन्द साहू
उम्र लगभग 42 साल निवासी सिरसा तहसील चौरई
जिला छिन्दवाड़ा म०प्र०

3)- श्रीमति सुनीता बाई पति गौरीशंकर साहू
उम्र 40 साल निवासी बटका रोड हर्रई तहसील
अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा म०प्र०

4)- श्रीमति सुनीता बाई पिता राजेन्द्र साहू
उम्र 35 साल निवासी दीपाचीपुरा छिंदवाड़ा ----- प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता 1959

याचिकाकर्ता अधीनस्थ न्यायालय (अपीलीय) अनुविभागीय

अधिकारी (राजस्व) छिन्दवाड़ा द्वारा रा०प्र० क्रमांक 11।अ-27।2013-14 पक्षकार सुशीला बाई विरुद्ध नन्दकिशोर साहू में प्रत्यर्थी द्वारा 31 साल के विलम्ब को मांफी करने हेतु प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम आवेदन पर पारित आदेश दिनांक 3-6-2014 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं मुद्दों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है :-

000

विचारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यहकि प्रत्यर्थीगणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा के समक्ष याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित बटवारा आदेश दिनांक 5-2-83 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है तथा अपील मेमो के साथ 5-2-83 को पारित आदेश के विरुद्ध 31 साल का विलंब मांफ करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत कियथा ।

यहकि प्रत्यर्थी गणों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बाबद अपील पेश कीथी कि विवादित संपत्ति स्वं बाबूलाल साहू के भूस्वामी हक की भूमि थी तथा प्रत्यर्थी गण स्व० बाबूलाल कीपुत्रियां है किन्तु स्व० बाबूलालने विवादित संपत्ति अपने जीवन काल में अपने पुत्र नन्दकिशोर स्वं अपनी पत्नी श्रीमति हेमवती साहू एवं एक हिस्सा अपने नाम रख कर तहसीलदारके समक्ष धारा 178(2) म०प्र०भू०रा० संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कियाथा तहसीलदार द्वारा विधि

R. 2363. 4/14 ([illegible])

24-11-16	निवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। निवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [illegible]

[कृ. प. उ.